फार्म 'अ'

(परिपत्र दो–1 की कण्डिका 6 देखिये)

राजस्व आदेश पत्र(रेव्हेन्यू ऑर्डर शीट)

अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा के न्यायालय में मामला क्रमांक सन् 202605050100005 2025–2026

विषय–.............................**अवैध वृक्ष कटाई**.........................प्रकरण की श्रेणी.....................अ–62...............2025–2026

ग्राम –.........रजगामार........बन्दोबस्त क्रमांक...........पटवारी हल्का क्रमांक ....तहसील–................भैसमा........

कलेक्टर का कमांक.............सन्................अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांक ....सन्............2025–2026

तहसीलदार का क्रमांक......................सन्.....................नायब तहसीलदार का क्रमांक..................सन्..................

आदेश कमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही छ0ग0शासन **बनाम** कृष्णा लाल चौहान	जहां आवश्यक हो, पक्षों अथवा वकीलों के हस्ताक्षर, आदेशों का पालन करने वा लिपिक के संक्षिप्तहस्ताक्षर और इसे पालन की तारीख
04/05/2026	–कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी कोरबा के पत्र कमांक/के0बी0/894 कोरबा, दिनांक 28/04/2026 में लेख किया गया है कि कोरबा परिक्षेत्र रजगामार बस्ती मार्ग से वाहन कमांक सी0जी0 04 एम0एन0 2574 द्वारा लकड़ी लोड कर परिवहन करते हुए वाहन में लकड़ी लोड की जा रही है, तभी परिसर रक्षक रजगामार श्री कमलेश कमार कुम्हार बी0एफ0ओ0 द्वारा अपने दल–बल के साथ ग्राम– रजगामार बस्ती मार्ग पहुंचा और रजगामार के ग्रामीण एवं वन प्रबंधन समिति अध्यक्ष के साथ घटना स्थल पर पहुंच कर वाहन चालक श्री उत्तरा कुमार साहू से पुछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वाहन क्रमांक सी0जी0– 04 एम0एन0 2574 किराया में लाया गया है। उक्त वाहन में लोड लकड़ी की प्रजाति सेम्हर 04 वृक्ष को ग्राम– रजगामार, निवासी श्री सुखदेव सिंह कंवर के किसानों से पेड़ खरीदकर कटवाकर गाड़ी में परिहन किराया जा रहा था, जिससे संबंधित व्यक्ति से परिसर रक्षक रजगामार द्वारा वृक्ष कटाये जाने की अनुज्ञा एवं परिवहन अनुज्ञा मांग करने पर सरपंच ग्राम पंचायत– रजगामार के द्वारा लकड़ी परिवहन किये जाने हेतु परिवहन प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे मोके पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए वाहन को वन मण्डल कार्यालय कोरबा में लाकर खड़ा किया गया है। संबंधित व्यक्ति के द्वारा उक्त वृक्ष की कटाई स्वयं की निजी भूमि ख0नं0– 692/2 से किया जाना बताया गया है, जिसका जॉच परिक्षेत्र सहायक रजगामार के द्वारा किया गया, जॉच में वृक्ष कटाई राजस्व क्षेत्र में होने के कारण भू–राजस्व संहिता की धारा 240 एवं 241 का उल्लंघन होना पाया गया। जिससे नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्राप्त हुई।	

–प्रकरण ऑन लाईन दर्ज हो।

–प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी कोरबा के पत्र क्रमांक/के0बी0/894 कोरबा, दिनांक 28/04/2026 के अनुसार वाहन में लोड काष्ठ सेमल– 04 नग क्रमशः 220, 220, 230, 170 से0मी0 जलाउ काटकर परिवहन करने से छ0ग0भू0रा0संहिता की धारा 258 की उपधारा(2) के खण्ड (इकसठ) (बासठ) सहपठित धारा 240, 241 में बनाये गये प्रावधानों के तहत बिना अनुमति के 04 वृक्ष को काटने के कारण प्रति वृक्ष 10,000–10,000/– रूपये के हिसाब से 40,000/–रूपये(चालिस हजार रूपये) अनावेदक कृष्णा लाल चौहान पिता प्रितम लाल चौहान, निवासी– सकदुकला, तहसील– भैसमा, जिला–कोरबा, छ0ग0 को शास्ति अधिरोपित किया जाता है। अनावेदक शास्ति राशि जमा करें।

–वन परिक्षेत्र अधिकारी कोरबा को पत्र जारी कर वाहन एवं उसमें भरे लकड़ी को अनावेदक के सुपुर्द किया जावे।

–तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा छ0ग0

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा जिला कोरबा,छ0ग0

क्रमांक 1385 / अ0वि0अ0 / वा0–1 / 2026 कोरबा दिनांक 04 / 05 / 2026

प्रति,

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कोरबा

विषयः– जप्त शुदा लकड़ी एवं वाहन को निर्मुक्त करने बाबत्।

----000----

आपके पत्र क्रमांक / के0बी0 / 894 कोरबा, दिनांक 28 / 04 / 2026 में लेख किया गया है कि दिनांक 24 / 04 / 2026 को दोपहर 1.30 बजे मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि कोरबा परिक्षेत्र के ग्राम–रजगामार में वाहन क्रमांक सी0जी0 04 एम0एन0 2574 में कृष्णा लाल चौहान पिता प्रितम लाल चौहान, निवासी– सकदुकला, तहसील– भैसमा के द्वारा लोड काष्ठ सेमल– 04 नग होना लेख किया गया है। अनावेदक के द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति से वृक्षों को काटा गया है। अतः 04 पेड़ सेमल को काटकर परिवहन करने से छ0ग0भू0रा0संहिता की धारा 258 की उपधारा(2) के खण्ड (इकसठ) (बासठ) सहपठित धारा 240, 241 में बनाये गये प्रावधानों के तहत बिना अनुमति के 04 वृक्ष को काटने के कारण प्रति वृक्ष 10,000–10,000 /– रूपये के हिसाब से 40,000 /–रूपये(चालिस हजार रूपये) अनावेदक कृष्णा लाल चौहान पिता प्रितम लाल चौहान, निवासी– सकदुकला, तहसील– भेसमा, जिला–कोरबा, छ0ग0 को शास्ति अधिरोपित किया गया है। जप्त शुदा वाहन को किसी अन्य प्रकरण में जप्त न किया गया हो तो वाहन में रखे गये लकड़ी व वाहन को निर्मुक्त किया जावे।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कोरबा, जिला कोरबा, छ0ग0

क्रमांक 1386 / अ0वि0अ0 / वा0–1 / 2026 कोरबा दिनांक 04 / 05 / 2026

प्रतिलिपिः–

1.वन मण्डालाधिकारी कोरबा को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2.उप वन मण्डलाधिकारी कोरबा को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3.वन परिक्षेत्र अधिकारी कोरबा, परिक्षेत्र कोरबा ।को सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कोरबा, जिला कोरबा, छ0ग0